राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/310 दिनांकः– 8/9/2020

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषयः– **COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020) में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं /चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।**

प्रसंगः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र संख्या 1–2 /2020 **Desk (MDM)** दिनांक 31.07.2020 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 51 दिनांक 10.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार मिड डे मील योजनान्तर्गत COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (माह जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020) में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ही राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण किया जाना है।

विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को निम्नानुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाना हैः–

क्र. सं.	माह का नाम	शैक्षणिक दिवस (AWP Plan)	कक्षा 1 से 5 के लिए खाद्यान्न (प्रति विद्यार्थी) (गेहूं/चावल)	कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (प्रति विद्यार्थी) (गेहूं/चावल)
01	जुलाई, 2020	27	2.700 किलोग्राम	4.050 किलोग्राम
02	अगस्त, 2020	21	2.100 किलोग्राम	3.150 किलोग्राम
योग			4.800 किलोग्राम	7.200 किलोग्राम

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

इस अवधि के खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में शेष दिशा–निर्देश पूर्व पत्र संख्या 51 दिनांक 10.06.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे।

—sd—
(बाबू लाल मीणा)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/ दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।
5. संयुक्त सचिव (ईई.आई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय,स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड,जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त को निर्देशित है कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
11. समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
12. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
13. लेखा शाखा जिलों से खाद्यान्न की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर संधारण किया जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रभारी आईटी सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

अति.आयुक्त (वित्त)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/ 51   दिनांकः–10-06-2020

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषयः– **COVID–19** के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं /चावल) वितरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र संख्या 1–2 /2020 **Desk (MDM)** दिनांक 29.04.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक प्रासंगिक पत्र के क्रम में मिड डे मील COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि का खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निम्नानुसार आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें:–

खाद्यान्न (गेहूं /चावल) वितरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

1. जिले में खाद्य सामग्री वितरण हेतु रूप रेखा तैयार कर सम्बन्धित अधिकारियों को सुव्यवस्थित ढंग से खाद्य सामग्री वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रदान किये जायें।
2. खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के वितरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु जिला/खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें ताकि इस कार्य की सुव्यवस्थित मोनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी नियमित आयुक्तालय को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे। जिला/खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य सम्पादित करेंगे।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

3. ग्राम स्तर पर संचालित विद्यालयों में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण की सुनिश्चितता करेंगे।
4. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये।
5. जिला रसद अधिकारी खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण दिनांक 15 जून, 2020 से पूर्व सुनिश्चित करेंगे। केवीएसएस के गोदामों में मिड डे मील योजना से सम्बन्धित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) भी उक्त तिथि से पूर्व विद्यालयों में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।
6. खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को दिनांक 25 जून, 2020 से पूर्व किया जाये।
7. खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण विद्यालय में किया जायेगा। खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में संस्था प्रधान विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को पूर्व दिनांक एवं समय के सम्बन्ध में सूचित करेंगे ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
8. COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में दिनांक 14 मार्च 2020 से 16 मई 2020 तक की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि दिनांक 17 मई 2020 से 30 जून, 2020 तक का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) निम्न तालिका अनुसार मिड डे मील योजना से लाभान्वित राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को विद्यालय में कक्षावार वितरित किया जायेगा।

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित मात्रा।

अवधि	दिवस	कक्षा 1 से 5	कक्षा 6 से 8
14 मार्च, 2020 से 16 मई, 2020 (COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि)	49	100 ग्राम प्रति छात्र–प्रति दिवस के अनुसार कुल 94 दिवस के अनुसार **09 किलो 400 ग्राम** खाद्यान्न (गेहूं /चावल) प्रत्येक छात्र–छात्रा के माता–पिता /अभिभावक को वितरित किये जायेंगे।	150 ग्राम प्रति छात्र–प्रति दिवस के अनुसार कुल 94 दिवस के अनुसार **14 किलो 100 ग्राम** खाद्यान्न (गेहूं/चावल) प्रत्येक छात्र–छात्रा के माता–पिता /अभिभावक को वितरित किये जायेंगे।
17 मई, 2020 से 30 जून, 2020 (ग्रीष्मावकाश)	45		
योग	94		

9. विद्यालय जिनमें स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO)/स्वयं सहायता समूह पोषाहार उपलब्ध कराते है, उन समस्त विद्यालयों में सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO)/स्वयं सहायता समूह उनके यहां उपलब्ध खाद्यान्न (गेहूं/चावल) सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करायेंगे। स्वयं सेवी संस्था /स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न को विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को विद्यालय में वितरित किया जायेगा।
10. विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रेकॉर्ड विद्यालय/संस्था में संधारित किये जायेंगे। सम्बन्धित प्रभारी एवं संस्थाप्रधान खाद्यान्न वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रमाणित कर पीईईओ को समेकित सूचना उपलब्ध करायेंगे।

विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति निम्न प्रपत्र में प्राप्त की जाये।

क्र. सं.	नाम विद्यार्थी	माता–पिता/ अभिभावक का नाम	कक्षा	खाद्यान्न की मात्रा (किलोग्राम में)			खाद्यान्न प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	दिनांक
				गेहूं	चावल	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

11. सम्बन्धित पीईईओ खाद्यान्न के वितरण की सूचना प्रत्येक दिवस को अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पीईईओ से प्राप्त सूचना को इकजाई कर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, सूचना को समेकित कर राज्य स्तर पर भिजवायेंगे। समस्त जिला /खण्ड /ग्राम स्तर के नोडल अधिकारी खाद्यान्न वितरण का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण होने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) द्वारा निम्न प्रपत्र में समेकित सूचना दिनांक 25.06.2020 को आयुक्तालय को भिजवायेंगे।

विद्यालय का प्रकार	विद्यार्थियों की संख्या जिनको खाद्यान्न वितरण किया गया	उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की मात्रा (मैट्रिक टन में)			खाद्यान्न वितरण उपरान्त शेष खाद्यान्न	अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता		
		गेहूं	चावल	योग		गेहूं	चावल	योग
कक्षा 1 से 5								
कक्षा 6 से 8								

12. खाद्यान्न (गेहूं/चावल) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशानुसार एवं Social Distance Norms की पालना करते हुये उपलब्ध कराई जाये।
13. खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के समय विद्यार्थियों को विद्यालय में किसी भी स्थिति में नहीं बुलाया जाये। खाद्यान्न विद्यार्थी के माता–पिता /अभिभावक को उपलब्ध कराया जायेगा। माता–पिता /अभिभावक द्वारा पहचान के रूप में स्वयं अथवा विद्यार्थी का वैध पहचान पत्र साथ लेकर आयेंगे।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

14. विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण पोषाहार प्रभारी एवं शालाप्रधान अपनी देख–रेख में करेंगे। इस हेतु स्थानीय अध्यापक का सहयोग लिया जा सकता है ताकि खाद्यान्न(गेहूं/चावल) वितरण में सुविधा हो सके।
15. COVID–19 के कारण कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र, Containment Zones में संचालित विद्यालयों/संस्थाओं में जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार ही खाद्यान्न का वितरण किया जाये।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–

- खाद्यान्न की आवश्यकता होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (मु) द्वारा मांग–पत्र आयुक्तालय, मिड डे मील को भिजवायेंगे ताकि भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त किया जा सके।
- खाद्यान्न के वितरण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाये। किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित कें विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- खाद्यान्न वितरण के समय अध्यापक/कार्मिक मास्क/हैण्ड ग्लब्स पहनकर रखेंगे तथा बार–बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे।
- उक्त कार्य जिला प्रशासन /स्थानीय प्रशासन के सहयोग एवं समन्वय से सुनिश्चित किया जाये।
- राज्य स्तर पर इस कार्य की मोनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी डॉ.आशीष व्यास, उपायुक्त (9828777456) रहेंगे। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या

होने की स्थिति में इनसे मोबाईल पर अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2701960 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित की जाये।

भवदीय
Abhishek
(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2020–21 / 51 दिनांक 10-06-2020

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक /माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
8. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
9. सचिव, मदरसा बोर्ड,राजस्थान,जयपुर।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी।
11. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त को निर्देशित है कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
13. समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
14. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
15. लेखा शाखा ।
16. रक्षित पत्रावली।

(हेम प्रभा)
अति.आयुक्त (वित्त)